संख्या-009/वीजीएल/016
भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए.,
नई दिल्ली-110023
दिनांक : 19.04.2010

परिपत्र सं0 17/04/10

विषय: सत्यनिष्ठा समझौता - स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों का चयन तथा सिफारिश ।

भारत सरकार के संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन के लिए बहुत से अनुरोध आयोग में प्राप्त होते हैं । सत्यनिष्ठा समझौते को कार्यान्वित करने के लिए इच्छुक संगठनों को प्रस्ताव के साथ स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के अधिक से अधिक तीन नाम आयोग को इसके अनुमोदन के लिए भेजने होते हैं ।

2. आयोग स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति के लिए केवल भारत सरकार के विभागों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उन अधिकारियों के नामों पर विचार करेगा जो उच्च प्रबंधन पदों से सेवानिवृत्त हुए हैं । आयोग उस अधिकारी/कार्यकारी के नाम पर विचार नहीं करेगा जो उसी संगठन में सेवारत हैं अथवा सेवानिवृत्त हुए हैं जिस संगठन में उनको स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक नियुक्त होना है, भले ही, वे उच्च प्रबंधन में सेवा कर चुके हैं । प्रतिष्ठित व्यक्तियों, निजी क्षेत्र के यथेष्ट प्रतिष्ठित कार्यकारियों को भी स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक के रूप में कार्य करने के लिए विचार किया जा सकता है तथा आयोग के अनुमोदन के लिए नामों की सिफारिश की जा सकती है ।

3. स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों की नियुक्ति की प्रारंभिक अवधि तीन वर्षों की होगी तथा स्वतंत्र बाहरी प्रबोधक की नियुक्ति करने वाले संगठन से आयोग में प्राप्त अनुरोध पर दो वर्षों की आगे की अवधि के लिए इसमें विस्तार किया जा सकता है । तीन वर्ष के प्रारंभिक कार्यकाल तथा दो वर्ष के आगे कार्यकाल विस्तार के साथ स्वतन्त्र बाहरी प्रबोधक का एक संगठन में अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल हो सकता है ।

4. स्वतंत्र बाहरी प्रबोधकों के नामों की सिफारिश करने वाले संगठन उचित सचेतना तथा संवीक्षा के बाद ही उनके नाम का चयन करें तथा आयोग को भेजें ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी